2024 का विधेयक संख्यांक 113

[दि रेलवेज (अमेंडमेंट) बिल, 2024 का हिन्दी अनुवाद]

रेल (संशोधन) विधेयक, 2024

रेल अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रेल (संशोधन) अधिनियम, 2024 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. रेल अधिनियम,1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के उपखंड (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 1989 का 24

'(1ख) "बोर्ड" से धारा 2क की उपधारा (1) के अधीन गठित रेल बोर्ड अभिप्रेत है ;'।

नए अध्याय 1क का अंत:स्थापन ।

3. मूल अधिनियम के अध्याय 1 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अध्याय 1क

रेल बोर्ड

रेल बोर्ड ।

2क. (1) इस अधिनियम के अधीन रेल बोर्ड नामक एक निकाय का उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए गठन किया जाएगा और भारत सरकार, लोक निर्माण विभाग के तारीख 18 फरवरी, 1905 के संकल्प संख्या 256जी के अधीन समय-समय पर यथा पुनरीक्षित उसकी संरचना सहित उसे इस अधिनियम के अधीन गठित रेल बोर्ड समझा जाएगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, रेल बोर्ड को या तो आत्यंतिक रूप से या किसी शर्त के अधीन रहते हुए, सभी या किन्हीं रेलों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार की सभी या किन्हीं शक्तियों या कृत्यों को विहित कर सकेगी ।

(3) बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हता, अनुभव और नियुक्ति के निबंधन और शर्तें तथा उक्त पदों को भरने की रीति वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(4) बोर्ड उतने सदस्यों से मिलकर बनेगा, जितने विहित किए जाएं ।

(5) बोर्ड को एक सचिव और ऐसे अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे, जो इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हों तथा सभी पत्राचार बोर्ड के सचिव को संबोधित किया जाएगा ।

(6) बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाए ।

(7) भारत सरकार, लोक निर्माण विभाग के तारीख 18 फरवरी, 1905 के संकल्प संख्या 256जी के अधीन नियुक्त, समय-समय पर यथासंशोधित बोर्ड की संरचना सहित, बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को तथा रेल (संशोधन) अधिनियम, 2024 के प्रारंभ होने से पूर्व बोर्ड में नियुक्त सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया समझा जाएगा :

परंतु बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों, जो रेल (संशोधन) अधिनियम, 2024 के प्रारंभ होने से तुरंत पूर्व उस रूप में पद धारण कर रहे थे, की सेवा के निबंधन और शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

बोर्ड से संचार को हस्ताक्षरित करने का ढंग ।

2ख. बोर्ड द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए या किन्हीं शक्तियों या कृत्य, जो धारा 2क की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना द्वारा उसमें निहित किए जाएं, के संबंध में बोर्ड द्वारा दिए जाने वाला या हस्ताक्षरित किया जाने वाला कोई नोटिस, अवधारण, निदेश, अध्यपेक्षा, नियुक्ति, मत अभिव्यक्ति, अनुमोदन या मंजूरी पर्याप्त और बाध्यकर होगी, यदि बोर्ड के सचिव द्वारा या उक्त बोर्ड द्वारा उसके निमित्त उन मामलों की बाबत प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिससे ऐसा प्राधिकार संबंधित है और बोर्ड किसी भी दशा में, पूर्वोक्त किसी भी मामले में तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक पूर्वोक्त रीति में हस्ताक्षरित न हो ।"।

धारा 200 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 200 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

1890 का 9
1905 का 4

"(1) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 और भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम, 1905 का निरसन किया जाता है ।";

(ii) उपधारा (2) में,—

1890 का 9

(क) प्रारंभिक भाग में, "भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (जिसे इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "भारतीय रेल अधिनियम, 1890 और भारतीय रेल बोर्ड

1905 का 4

अधिनियम, 1905 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (क) में, "निरसित अधिनियम के अधीन" शब्दों के स्थान पर, "निरसित अधिनियमों के अधीन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (ख) में, "निरसित अधिनियम" शब्दों के स्थान पर, दोनों

1890 का 9

स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "भारतीय रेल अधिनियम, 1890" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

स्वतंत्रता से पूर्व रेल नेटवर्क की स्थापना लोक निर्माण विभाग की एक शाखा के रूप में आरंभ हुई ।

2. जब रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 को विभिन्न रेल अस्तित्वों के समुचित कार्यकरण को समर्थ बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

3. जैसे-जैसे रेलों को लोकप्रियता मिलती गई, अनेक रजवाड़ों और अन्य अस्तित्वों ने रेल नेटवर्क की स्थापना और विस्तार किया ।

4. जल्दी ही यह अनुभव किया गया था कि दो मुख्य कारणों से रेलों को लोक निर्माण विभाग से भिन्न ढांचे की आवश्यकता है, अर्थात् :—

(क) पहला रेल एक प्रचालनकारी संगठन है और इसलिए इसे नम्य और स्वतंत्र नीति बनाने की आवश्यकता है ।

(ख) दूसरा रेल का एक नेटवर्क है और इसलिए सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए समान मानकों की आवश्यकता है ।

5. पूर्वोक्त कारणों के आधार पर रेल संगठन को लोक निर्माण विभाग से पृथक किया गया था । भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम, 1905 अधिनियमित किया गया था ।

6. समकालीन रेल विधि - भारतीय रेल अधिनियम, 1890 को निरसित करके - रेल अधिनियम, 1989 अधिनियमित किया गया था । मुख्य विधि को समग्र बनाने के लिए उस समय भी भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम, 1905 का उसके साथ विलय किया जा सकता था ।

7. वर्तमान विधेयक भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम, 1905 के प्रस्तावों को रेल अधिनियम, 1989 में शामिल करके विधिक ढांचे को सरल बनाने का प्रस्ताव करता है । यह दो विधियों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता को कम करेगा । इसके स्थान पर केवल एक विधि के प्रतिनिर्देश की आवश्यकता होगी ।

8. इस विधेयक के साथ रेल बोर्ड का कार्यकरण और स्वतंत्रता बढ़ जाएगी । भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम, 1905 के सभी उपबंधों को इस विधेयक के माध्यम से रेल अधिनियम, 1989 में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है ।

नई दिल्ली ;
7 अगस्त, 2024

अश्विनी वैष्णव

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक में रेल अधिनियम, 1989 में रेलवे बोर्ड के गठन और संरचना के प्रावधानों को यथोचित रूप से समाविष्ट करते हुए भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम, 1905 के निरसन की मांग की गई है। रेलवे बोर्ड पहले से ही अस्तित्व में है। रेलवे बोर्ड के व्यय को भारतीय रेल के राजस्व बजट के तहत वार्षिक बजटीय प्रावधानों से पूरा किया जाता रहेगा जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है । इस विधेयक में किसी नए बोर्ड अथवा निकाय के सृजन का प्रस्ताव नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ नहीं होगा ।

2. बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव और अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के सेवा निबंधन और शर्तों से संबंधित उपबंध पहले से ही विद्यमान हैं और प्रस्तावित विधेयक में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है । इन प्रावधानों के परिणामस्वरूप नियमित कार्य प्रक्रिया में सरकार के सांविधिक कार्यों के निर्वहन में व्यय हो सकता है, जिसे रेलवे के बजट के राजस्व खंड के अंतर्गत वार्षिक बजटीय प्रावधान से पूरा किया जाएगा । बहरहाल, इस स्तर पर किसी अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

3. रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत सांविधिक निकाय के रूप में गठित किए जाने हेतु प्रस्तावित रेलवे बोर्ड के व्यय को रेलवे के बजट के राजस्व खंड के अंतर्गत बजटीय प्रावधान से पूरा किया जाता रहेगा । वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रेलवे बोर्ड के लिए राजस्व शीर्ष के तहत बजट आवंटन 440.01 करोड़ रुपए है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 का उपखंड (3) केंद्रीय सरकार को रेल बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, अनुभव और निबंधन और शर्तों तथा उक्त पदों को भरने की रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

2. उक्त खंड का उपखंड (4) केंद्रीय सरकार को नियम बनाकर बोर्ड को ऐसे सदस्यों का उपबंध करने के लिए सशक्त करता है ।

3. उक्त खंड का उपखंड (6) केंद्रीय सरकार को नियम बनाकर बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों का उपबंध करने के लिए सशक्त करता है ।

4. वे विषय, जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय है और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

रेल अधिनियम, 1989 (1989 का अधिनियम संख्यांक 24) से उद्धरण

* * * * * * *

निरसन और व्यावृत्ति ।

200. (1) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 1890 का 9

(2) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) (जिसे इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है) के निरसन के होते हुए भी— 1890 का 9

(क) निरसित अधिनियम के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई (जिसके अंतर्गत बनाया गया कोई नियम, जारी की गई कोई अधिसूचना, किया गया कोई निरीक्षण या आदेश या की गई कोई नियुक्ति या सूचना या घोषणा या दी गई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, प्राधिकार या छूट या निष्पादित किया गया कोई दस्तावेज या लिखत या दिया गया कोई निदेश या की गई कोई कार्यवाही, अधिरोपित की गई कोई शास्ति या जुर्माना भी है), जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन समझी जाएगी ;

(ख) निरसित अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन रेल रेट अधिकरण को किया गया कोई परिवाद किन्तु जिसका इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व निपटान नहीं किया गया है और ऐसा परिवाद जो निरसित अधिनियम के अधीन रेल प्रशासन के किसी कार्य या लोप के विरुद्ध उक्त अधिकरण को किया जाए, इस अधिनियम के अध्याय 7 के उपबंधों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन गठित अधिकरण द्वारा सुना जाएगा और विनिश्चित किया जाएगा ।

* * * * * * *